पंचायती राज जागरूकता शृंखला

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा संबंधी नियम–कायदे

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम में पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा के लिए विशेष नियम–कायदे तय किए हैं, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 3(III)(क) में किया गया है। इस कानून के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में टोला स्तर पर भी ग्राम सभा माना जा सकता है और वहां का प्रत्येक मतदाता उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। इस कानून को लागू करने के लिए प्रत्येक गाँव या टोलों के लोगों को अपने यहां ग्राम सभा का गठन करना जरूरी है।

phia to end poverty

ग्राम स्वशासन अभियान
(आसरा, संवाद, एराउज़, लोक जागृति क्रेंद)

Azim Premji Philanthropic Initiatives

पुस्तिका के विषय में

ग्राम स्वशासन अभियान के तहत फिया फाउंडेशन द्वारा अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशियेटिव प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पंचायती राज जागरूकता शृंखला सामग्री तैयार की जा रही है जिसके उपयोग से आमजन व पंचायते बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रेरित होंगे। प्रस्तुत पुस्तिका ग्राम सभा के बारे में सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है।

1993 में 73वें संविधान संशोधन के बाद लागू नई पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम जिसे पेसा कहते हैं, लाया गया जिसके तहत आदिवासी संस्कृति और परम्परा के अनुसार स्वशासन को मान्यता दी गई है। आजादी के बाद देश में पहली पंचवर्षीय योजना अपेक्षित लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही, जिसके बाद योजना बनाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज की व्यवस्था की गई। परन्तु ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संसोधन से मिला। जिसके अनुसार पंचायती राज संस्थाएं आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाएंगी।

ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान हासिल है। ग्राम सभा की स्वीकृति हर योजना व कार्य के लिये है, ग्राम सभा को पंचायती राज संस्थाओं व राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिये लाभार्थियों के चयन से लेकर निगरानी तक का अधिकार है।

अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को पेसा कानून के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। जिसकी जानकारी इस पुस्तिका में विस्तार से जानकारी दी गई है।

आशा है कि यह सामग्री आमजन व पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उपयोगी साबित होगी।

शुभकामनाओं सहित
ग्राम स्वशासन अभियान

ग्राम सभा का गठन

आदिवासी क्षेत्र के किसी भी गाँव/टोला/पारा आदि में ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गाँव के सभी लोगों को बैठक कर यह प्रस्ताव पास करना होगा कि इस गाँव/टोला के लोग अपने यहाँ पेसा कानून के अंतर्गत एक ग्राम सभा का गठन करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव पास कर उसे विहित अधिकारी (एस.डी.एम.) के पास जमा करना होता है। इस प्रस्ताव के साथ उस गाँव या टोला या आवासीय समूह की जनसंख्या एवं परिवार संख्या का विवरण भी साथ में लिखकर एस.डी.एम. को दिया जाना है।

परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण का अधिकार

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं को आदिवासी समुदाय की सदियों से चली आ रही परंपराओं एवं रीति रिवाजों का संरक्षण करने का अधिकार है। यदि ग्राम सभा के सदस्यों को यह महसूस हो कि किसी सरकारी या गैर सरकारी गतिविधि के कारण उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वे ग्राम सभा की बैठक में उस पर चर्चा कर सकते हैं। और उसे रोकने के बारे में फैसला ले सकते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित नदियों, पहाड़ों, जंगलों, खदानों आदि का न्यायपूर्ण उपयोग करने के लिए सभा निर्णय ले सकती है। साथ ही ग्राम सभा उनके रख–रखाव के बारे में भी फैसला ले सकती है। जंगलों से लघु वनोपज एकत्र करने और उसे बिक्री के बारे में भी ग्राम सभा नियम–कायदे बना सकती है।

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियां

झारखण्ड पंचायती राज 2001 की अधिनियम की धारा (10) में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियों (अधिकारों) का उल्लेख है। इसके अनुसारः–

- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों का संरक्षण करने का अधिकार है। साथ ही उसे विवादों के निराकरण का भी अधिकार है।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल का अपनी परंपराओं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार है।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को गाँव के बाजार तथा मेलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा अपने गाँव में लगने वाले बाजार एवं मेलों के बारे में नियम बना सकती है और उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू करवा सकती है।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को स्थानीय योजनाओं में होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।
- उक्त के अलावा पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को वे सभी अधिकार भी है जो अन्य गैर आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को है।
- गाँव के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता से लागू करना।
- गाँव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाना, उसे पास करना तथा पंचायतों द्वारा उसका क्रियान्वयन किए जाने पर उस पर, निगरानी रखना और उसके बारे में ग्राम सभा में बातचीत करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा किये गए आय–व्यय, और हिसाब–किताब पर विचार करना तथा ग्राम पंचायत को ऑडिट रिपोर्ट पर बातचीत करना और सही पाए जाने पर उसका अनुमोदन करना।
- गाँव स्तर के सभी सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
- गाँव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनबाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि की समीक्षा करना और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करना एवं फैसला लेना।

बाजार एवं व्यापार पर नियंत्रण

पेसा क्षेत्र के गाँवों में लगने वाले हाट–बाजार एवं वहाँ होने वाले व्यापार पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। यदि किसी ग्राम सभा क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है, जिससे आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो तो ग्राम सभा में उस पर चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा चाहे तो उस व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही ग्राम सभा गाँव में शराब की बिक्री और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा सकती है या उसके बारे में कोई नियम–कायदे बना सकती है।

भूमि अधिग्रहण के बारे में ग्राम सभा के अधिकार

पेसा क्षेत्र में सरकार, ग्राम सभा की अनुमति के बिना, किसी भी काम के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। भूमि अधिग्रहण करने से पहले सरकार ग्राम सभा को सूचित करेगी और ग्राम सभा में उस पर चर्चा होगी। यदि ग्राम सभा भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देती है तो सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है।

phia
to end poverty

फिया फाउंडेशन भारत में कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था है। जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। फिया वर्तमान में पैक्स कार्यक्रम की सीख, सोच व सामाजिक आधार (पूंजी) को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। फिया, अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशियेटिव प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्थानीय स्तर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिये झारखण्ड के 3 जिलों की 40 ग्राम पंचायतों और 354 गाँवों में ग्राम स्वशासन अभियान के माध्यम से ग्राम सभा और स्थानीय नागरिकों के बीच जागरूकता व क्षमता वर्धन के लिए कार्यक्रम चला रही है।

प्रस्तुत पुस्तिका पेसा कानून विषय पर जागरूकता के लिये तैयार की गई है। आशा है कि यह नागरिकों विशेष तौर पर वंचित समुदाय के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

2446/08/18 • KAILASH PAPER • 0651-2532251

phia
to end poverty

ग्राम स्वशासन अभियान
(आसरा, संवाद, एराउज़, लोक जागृति क्रेंद)

Azim Premji Philanthropic Initiatives